भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

28 JUL 2010

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRA

D 785307

उपहार-पत्र

आराजी- स्थित कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी, सड़क से दूर।

क्षेत्रफल- 36.25 वर्गमीटर।

निर्धारित दर- 2500/- रु0 प्रति वर्गमीटर [illegible]-90500/- रुपये।

उपहार का यह विलेख आज दिनांक 31 जुलाई सन 2010ई0 को शनिवार के दिन धर्मचन्द खुराना पुत्र स्व0 श्री किशनचन्द खुराना निवासी बाजार कोट अमरोहा जिला ज्योतिबाफूलेनगर वर्तमान पता 11, गोकुलविहार कांठ रोड मुरादाबाद बहैसियत मुख्तारेआम ओमप्रकाश खुराना पुत्र स्व0

अ. Dharmchand
ALRPK8647K

अं. Omprakash Khurana
ADTPK1790K

क्र०सं० 18 दिनांक 31/12/10

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000/-

क्रेता का नाम व पूरा पता

उद्देश्य

कु० बबीता (स्टाम्प विक्रेता)

ला०नं० 10A, तहसील धरिवार, अमरोहा (जे.पी. नगर)

विधता – 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

28 JUL 2010

D 785309

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

श्री किशनचन्द खुराना निवासी बाजार कोट अमरोहा जिला ज्योतिबा फूलेनगर बजरिये मुख्तारनामा आम पंजीकृत दिनांक 01-06-2010ई0 बही सं0 4 जिल्द सं0 39 पृष्ठ 345/354 क्रम सं0 72 कार्यालय उप निबन्धक अमरोहा जिला जे0पी0 नगर जिसे आगे दाता कहा गया है एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है तथा धीरज खुराना पुत्र श्री धर्मचन्द खुराना निवासी 11, गोकुल विहार कांठ रोड शहर व जिला मुरादाबाद जिसे आगे आदाता कहा गया है एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है,

द०

Dharm Kum

द०

[signature]

क्र०सं० 20 दिनांक 31/12/10

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000/-

क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

उद्देश्य

कु० बबीता (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेंस नं० 10A, तहसील परिसर, अमरोहा (जे.पी. नगर)

वैधता - 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

20 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 785308

{3}

के बीच अमरोहा में निष्पादित किया गया है।

और चूँकि दाता बहैसियत मुख्तारेआम संलग्न सूची में वर्णित सम्पत्ति के पूर्णरूपेण स्वामी हैं तथा वे उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं।

और चूँकि आदाता धीरज खुराना श्री ओम प्रकाश खुराना के सगे भतीजे हैं तथा उक्त आदाता धीरज खुराना दाता ओमप्रकाश खुराना

ह. Dharmendra

ह. [signature]

क्र०सं० 21 दिनांक

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000/-

क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

उद्देश्य

कु० बबीता (स्टाम्प विक्रेता)

ला०नं० 10A, तहसील परिसर, अमरोहा (जे.पी. नगर) हस्ताक्षर

वैधता - 31 मार्च 2011 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

21 JUL 2010

Rs. 5000

D 784971

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

का एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह है अतएव दाता उक्त सम्पत्ति का अग्रलिखित रीति के अनुसार परिवर्तन करने के इच्छुक हैं।

अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि दाता प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित होकर अनुसूची में वर्णित ग्राम को संलग्न सारे अधिकारों के

ह.

ह.

क्र०सं० 1145 दिनांक 30/12/10

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000

क्रेता का नाम व पूरा पता

उद्देश्य

सै० ऐजाज़ हैदर नक़वी (स्टाम्प विक्रेता)

ला०नं० 15-A, तहसील [illegible], अमरोहा (जे.पी. नगर)

वैधता 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

28 JUL 2010

Rs.5000

रु.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

D 785421

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

साथ अपनी स्वतन्त्र सहमति से उक्त आदाता को उपहार मे देता

है जिसके आदाता ने स्वीकार कर लिया है, अंतरित, हस्तान्तरित

ह. Dharamkumar

ह. [signature]

क्रमांक 115 दिनांक 30/7/10

स्टाम्प का मूल्य [illegible]

क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

अंकित

सै० ऐजाज़ हैदर नकवी (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेंस 15-A, तहसील परिसर, अमरोहा (जे.पी. नगर)

वैधता 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

21 JUL 2010

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

D 784970

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

§6§

अदायगी और उसकी पुष्टि करता है। उक्त सम्पत्ति पर किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित नहीं हैतथा जिसके बदले मे कोई

अ.

अ.

क्र०सं० 116 दिनांक [illegible]7/16

जनरल स्टाम्प का मूल्य [illegible].00

क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

उद्देश्य [illegible]

सै० ऐजाज़ हैदर नक़वी (स्टाम्प विक्रेता)

ला०नं० 15-A, तहसील [illegible], अमरोहा (ज.पी. नगर)

वैधता 31 मार्च 201[illegible]

हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

21 JUL 2010

D 784974

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

प्रतिफल नहीं लिया या दिया गया है ।

और कि दाता को उक्त सम्पत्ति के एकमात्र स्वामी होकर

अ०

अ०

क्र०सं० 64 29/7/16
जनरल स्टाम्प के मूल्य रु. 5000
क्रेता का नाम व पूरा पता
उद्देश्य

सै० ऐजाज़ हैदर नक्वी (स्टाम्प विक्रेता)
ला०नं० 15-A, तहसील परिसर, अमरोहा (जे.पी. नगर)
वैधता ,31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

21 JUL 2010

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

D 784972

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

उसे उस सम्पत्ति को दान करने, उपहार करने, हस्तान्तरित करने

अं.

अं.

क्र०सं० .... दिनांक ....
जनरल स्टाम्प का मूल्य ....
क्रेता का नाम व पूरा पता ....
उद्देश्य ....
सै० ऐजाज़ हैदर नक़वी (स्टाम्प विक्रेता)
ला०नं० 15-A, तहसील परिसर, अमरोहा (जे.पी. नगर)
वैधता 31 मार्च 2011
हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

21 JUL 2018

D 784973

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१९१

अंतरित करने व निवर्तन करने का अधिकार है एवं एतद्द्वारा

अ.

अ.

क्र०सं० 66 दिनांक 28/2/16
जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000
क्रेता का नाम व पूरा पता
उद्देश्य
सै० ऐजाज़ हैदर नक़वी (स्टाम्प विक्रेता)
ला०नं० 15-A, तहसील परिसर, अमरोहा (जे.पी. नगर)
वैधता 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

28 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 785327

(10)

अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रथम पक्ष (दाता) द्वितीय पक्ष

ह०

ह०

35 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

28 JUL 2010

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 785458

(11)

(अदाता) के पक्ष में उक्त सम्पत्ति का निर्वर्तन, हस्तान्तरण, अंतरण

ह०

ह०

क्र०सं० 84 दिनांक 31/7/10

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000/-

क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

उद्देश्य

शर्मा हैदर (स्टाम्प विक्रेता)

लाइ०नं० 7/A, तहसील परिसर, अमरोहा (जे.पी. नगर)

वैधता - 31 मार्च 2011

हस्ताक्षर

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

2 8 JUL 2010

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

D 785459

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

करते है एवं जिस पर आदाता को सदैव शान्ति पूर्वक और निश्चित

अ.

अ.

क्र०सं० 85 दिनांक 31/8/11

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000

क्रेता का नाम व पता Aअग्र 22 सA

उद्देश्य

शान्ति हैदर (स्टाम्प विक्रेता)

ला०नं० 7/A, अशोक वाटिका, अमरोहा (ज.पी. नगर)

वैधता - 31 मार्च 2011

हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

07 JUL 2010

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 784439.

§13§

रूप से सम्पत्ति मे प्रवेश करने उसे रख सकने, धारण कर सकने, उस पर

अं.

अं.

क्र०सं० 9 दिनांक 20/07/2010

स्टाम्प का मूल्य 5000

क्रेता का नाम व पूरा पता धीरज रस्तोगी [illegible] मुरादाबाद

उद्देश्य [illegible]

अनी[illegible] ह[illegible] (स्टाम्प [illegible])

लाइसेंस 7A, [illegible]

वैधता - 31 मार्च 2017

हस्ताक्षर [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

01 JUN 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 784440

अधिमत्व रख सकने एवं उसे उपयोग और उपभोग करने व किसी प्रकार का ऋण लेने व किसी को भी अंतरण करने का अधिकार होगा ..

अ.

Dharmendra Kumar

अ.

Anil Kumar

10 [illegible] दिनांक 20/07/2010

[illegible] 5000/-

[illegible] धीरज कुमार

[illegible]

अ[illegible]

[illegible]

[illegible] - 37 [illegible] 2011 [illegible] हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

07 JUL 2010

D 784441

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

तथा आदाता को पूर्ण अधिकार है कि वह राजस्व अभिलेखों में

अ.

अं.

क्र०सं० || दिनांक 20/07/2010

5,000 रु०

[illegible] धोरहरा

क्रेता का नाम [illegible]

उद्देश्य आगामी

अनीस [illegible]

ला०सं० 7A, [illegible]

वैधता - 31 मार्च 2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

07 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 727400

§16§

प्रथम पक्ष के स्थान पर अपना नाम अंकित करा ले इसमे प्रथम पक्ष दाता

क्र०सं० 17 दिनाँक 19/7/2010

जनरल स्टाम्प का मूल्य 1000

क्रेता का नाम व पूरा पता धीरज रस्तोगी पुत्र श्री धर्म चन्द्र रस्तोगी गोकुल बिहार कॉ० शा० मुरादाबाद

उद्देश्य बैनामा

अनीस हसन (स्टाम्प विक्रेता)

ला०नं० 7A, [illegible]

वैधता - 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

07 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 784443

अथवा प्रथम पक्ष दाता के किसी वारिसान को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

लिहाजा यह उपहार पत्र खूब सोच व समझकर बिना बहकाये

अ. अ.

क्र०सं० 18 दिनाँक 19/07/2010

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000

क्रेता का नाम व पूरा पता धीरज खुराना

उद्देश्य बैनामा

अनीस हसन (स्टाम्प विक्रेता)

ला०नं० 7A, [illegible]

वैधता - 31 मार्च 201

हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

07 JUL 2010

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 727399

व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के लिख दिया है ताकि सनद रहे और काम आवे ।

विवरण सम्पत्ति जिसे उपहार मे दिया जा रहा है-

जो कि आराजी बकदर 5/28 भाग मजकूरा भूमिधरी नम्बरी खसरा 3354 मि0 कुल रकबई 0.682 हैक्टेयर लगानी सालाना 23.80 रु0 स्थित कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी तहसील अमरोहा जिला जे0पी0 नगर जिस पर दाता बहैसियत

क्र०सं० 19 दिनांक 19/07/2010.

[illegible] 1000

क्रेता का नाम व [illegible] धीरज [illegible] 2171

उद्देश [illegible]

अनीस [illegible] ([illegible])

लाइसेंस 7A, [illegible] ([illegible])

वैधता - 31 मार्च 2011

हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

07 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 784442

(19)

भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है और जो अमरोहा जोया मार्ग से लगभग 100 मीटर से भी अधिक दूर है आराजी का मूल्यांकन

अ.

अं.

20

क्र०सं० 79 दिनांक 17/4/2010.

जनरल स्टाम्प का मूल्य 5000/-

क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

उद्देश्य [illegible]

अनीस हसन (स्टाम्प विक्रेता)

ला०सं० 7A, [illegible], आगरा [illegible]

वैधता – 31 मार्च 2011

हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

07 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 727403

आवासीय दर 2500/- रूपये प्रति वर्गमीटर×516.43=1291075/- है परन्तु स्टाम्प 12,2000/- रू0 मालियत पर नियमानुसार 90500/- रू0 का अदा किया गया है। दाता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है। आराजी मे कोई पेड़, कूप भवन व बोरिंग आदि नही है। दाता ने खसरा नम्बर 3344मि0 मे अपना सम्पूर्ण भाग उपहार स्वरूप प्रदान किया है। तथा दाता का उक्त खसरा नम्बर

अं.   अं.

21 19/7/2010
1000
धीरज खुराना
बेनामा
अमरोहा

विक्रय पत्र (348 पत)

1,292,000.00/	1,292,000.0	10,000.00	20	10,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री धर्मचन्द खुराना वाहै0मु0आम
पुत्र श्री किशनचन्द खुराना
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 11 गोकुल विहार कांठ रोड मुरादाबाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/7/2010 समय 5:37PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.डी.मिश्रा
उप निबन्धक
अमरोहा
31/7/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व पढ़ने व समझने व प्राप्त धनराशि के प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री धर्मचन्द खुराना वाहै0मु0आम
पुत्र श्री किशनचन्द खुराना
पेशा व्यापार
निवासी 11-गोकुल विहार कांठ रोड मुरादाबाद

क्रेता
श्री धीरज खुराना
पुत्र श्री धर्मचन्द खुराना
पेशा व्यापार
निवासी 11-गोकुल विहार कांठ रोड मुरादाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री कुलदीप
पुत्र श्री किशनलाल
पेशा व्यापार
निवासी शाही कतुरा
व श्री राजपाल सिंह
पुत्र श्री [illegible] सिंह
पेशा कृषि
निवासी तखतपुर
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.डी.मिश्रा
उप निबन्धक
अमरोहा
31/7/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

07 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 727405

मे कोई मामला नहीं रहा है। मुख्तारनामा आम निरस्त नहीं किया गया है तथा मुख्तारनामा आम कर्ता जीवित है ।

हदूदअरबा पट्टार स्वरूप दी गयी सम्पत्ति–

पूरब–	आराजी श्रीमति सावित्री खुराना ।
पश्चिम–	आराजी श्री धर्म खुराना ।
उत्तर–	आराजी श्री धर्म खुराना ।
दक्षिण–	आराजी श्री इकरार अहमद आदि ।

ह० Dharamkumar

ह० [signature]

क्र०सं० 92 दिनांक 19/7/2010

जनरल स्टाम्प का मूल्य 1000 रू०

क्रेता का नाम व पूरा पता धीरज सुराना

उद्देश्य — बयाना

अर्नित इस्लाम (स्टाम्प विक्रेता)

लाo 7A, तहसील ... अवधि ...

वैधता - 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

विक्रेता

Registration No.: 11711 Year : 2,010 Book No. : 1

C101 धर्मचन्द सुराना वाई0पु0आम

किशनचन्द सुराना

11-गोकुल विहार कांठ रोड मुरादाबाद

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

07 JUL 2010

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 727404

उपहार स्वरूप दी गयी सम्पत्ति का रेवेन्यु विवरण निम्न प्रकार है स्थित

कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी–

नम्बर खसरा	रकबा	लगान	हिस्सा
3344 मि0 §तीन हजार तीन सौ चौवालीस मिनजुमला§	0.482 हेक्टे0 §शून्य दशमलव चार आठ दो हेक्टेयर।	23.00 रु0	3/28 भाग बाकदर अपना कुल भाग।

अ. ....

अ. दाता. ..

अ. आदाता.

क्रमांक 23 दिनांक 19/07/2010

1000

क्रेता का ... धीरज खुराना

उद्देश्य बयाना

अनील ...

ला०सं० 7A, ...

वैधता - 31 मार्च 2011

हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. : 11 11 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 धीरज खुराना

धर्मचन्द खुराना

11 ...

...

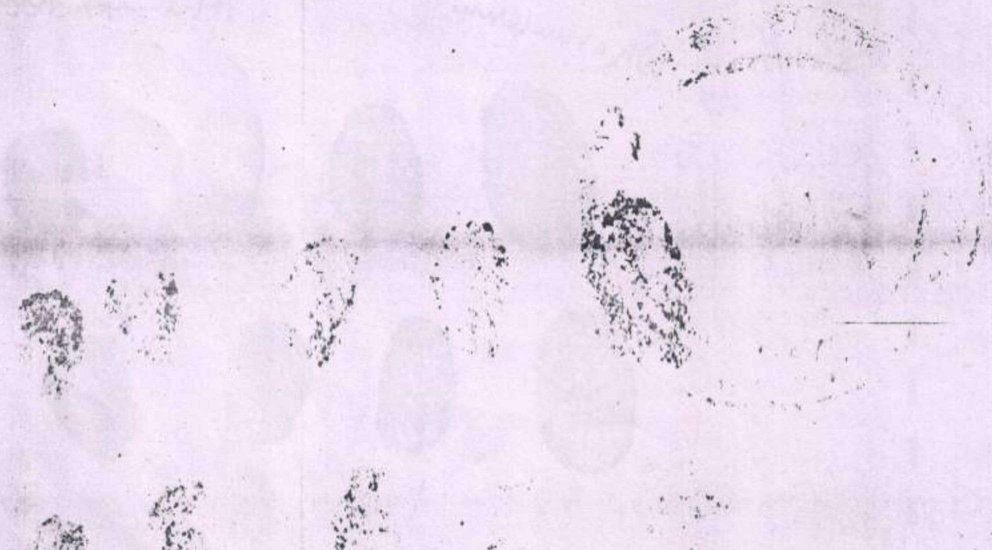

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

28 JUL 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 171589

§23§

नोट- फोटो का प्रमाणीकरण गवाहान की पहचान पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट तहसील अमरोहा ने किया है।

ह0 [illegible] ह0 [illegible]

साक्षी-1- [illegible]

साक्षी-2- [illegible]

(R.K. JAIN)

आज दिनांक 31-07-2010ई0 को बामुकाम तहसील अमरोहा मे यह उपहार पत्र हस्बे हिदायत पक्षकार बमुशाहिदा श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट द्वारा मु0 शमशाद उर्फ सरफराज अहमद टाइपराइटर टाइप किया गया।

[illegible]

[illegible] Adv 31/7/2010

क्रमांक 86 दिनांक 31/7/10

5000

[illegible]

क्रेता का नाम [illegible]

उद्देश्य [illegible]

शमीम हैदर (स्टाम्प विक्रेता)

[illegible] 7/A, [illegible] (जे.पी. नगर)

वैधता : 31 मार्च 2011 हस्ताक्षर

आज दिनांक 31/07/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 4334

पृष्ठ सं 125 से 172 पर क्रमांक 11711

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. [illegible]

उप निबंधक

अमरोहा

31/7/2010

नजरी नक्शा व फोटो मार्क मोहल्ला अल्मोड़ा बाहर कुआं बाबत
अहाता 516.43 वर्ग मीटर आराजी भूमि खाली

दाता-
विक्रेता- धर्म चन्द खुराना पुत्र श्री किशन चन्द खुराना
नि० बाजार कोट अल्मोड़ा वाई सियत मुख्तारे आम मिनजानिब
श्री ओमप्रकाश खुराना पुत्र श्री किशन चन्द खुराना नि० बाजार
कोट अल्मोड़ा

आदाता- धीरज खुराना पुत्र श्री धर्मचन्द खुराना नि० 11 गोकुल विहार
कांठ रोड मुरादाबाद

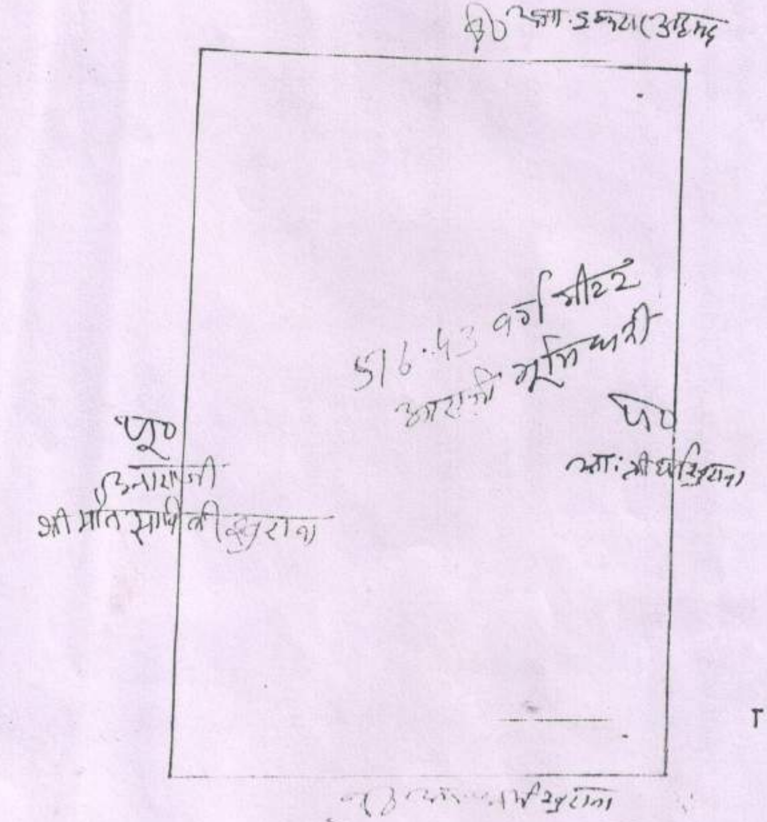

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी अमरोहा

औपबन्धिक(Provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र

यूआईडी संख्याः 2018 / 45515 / अम / अमरोहा / 528 / डी0डी0 / 63

दिनांक– मई 25, 2018

प्रमाणित किया जाता है कि खसरा संख्याः 3344, 3346 कस्बा अमरोहा, बाहर चुंगी निकट बस स्टेशन, जोया रोड अमरोहा, जनपद अमरोहा पर प्रस्तावित / निर्माणाधीन कामर्शियल भवन ब्लाक ए, जिसमें तलों की संख्या लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, प्रथम तल, द्वितीय तल है एवं बेसमेंट की संख्या शून्य है, जिसकी उचाँई 13.90 मीटर तथा कुल कवर्ड एरिया 3441.34 वर्ग मीटर है तथा प्रस्तावित आवासीय भवन ब्लाक बी, जिसमें तलों की संख्या भूतल से सप्तम तल है एवं बेसमेंट की संख्या शून्य है, जिसकी उचाँई 23.60 मीटर तथा कुल कवर्ड एरिया 8232.35 वर्ग मीटर है। ब्लाक ए तथा बी का कुल प्रस्तावित कवर्ड एरिया (3441.34 वर्गमीटर+8232.35 वर्गमीटर) 11673.69 वर्ग मीटर है। भवन का अधिभोग धर्म खुराना, सावित्री खुराना एवं धीरज खुराना द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्रविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बंधी भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरुप किया गया है। इस भवन को प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र एन0बी0सी0 की अधिभोग आवासीय / कॉमर्शियल श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित / निर्माणाधीन भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक– मई २९, 2018

स्थान– अमरोहा

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद अमरोहा
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-अमरोहा

5 रु. कोर्ट फी Rs.5
COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE

2 रु. कोर्ट फी Rs.2
COURT FEE
भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय उपजिलाधिकारी [illegible]
वाद सं- 29/2014   धारा 143 ज०वि०अ०
[illegible] बाहर चुंगी
धर्मचन्द [illegible] बनाम [illegible]
[illegible] दिनांक 24/3/14 की छाया प्रति
संलग्न है

NOTARY MORADABAD U.P. GOVT. SANJEEV PRAKASH

Photo State Copy Attested
9/5/18
SANJEEV PRAKASH
ADVOCATE NOTARY
MORADABAD

न्यायालय

न्यायालय उपजिलाधिकारी, अमरोहा।

वाद सं0–29/2014(टी20141338011344) अन्तर्गत धारा–143 जमी0विनाश अधिनियम
मौजा–कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी तहसील व परगना–अमरोहा
धर्मचन्द खुराना बनाम हल्का लेखपाल

निर्णय

प्रस्तुत वाद धर्मचन्द खुराना पुत्र किशन चन्द खुराना निवासी मौहल्ला कोट, अमरोहा द्वारा अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधिनियम योजित किया गया। जिस पर तहसीलदार, अमरोहा से आख्या प्राप्त की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे कहा है कि प्रार्थी आराजी खसरा नं0–3248मि0/0–032है0 व 3346मि0/0–733है0 स्थित कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी मे 1/2 भाग का मालिक, काबिज, भूमिधर है जबकि 1/2 भाग के मालिक प्रतिवादी नं0–2 है। प्रार्थी ने अपने 1/2 भाग मे कई वर्षो से कृषि कार्य बन्द कर दिया है। अब कृषि, उघान, पशुपालन, कुक्कुर पालन, मत्स्य पालन आदि कोई कार्य उपरोक्त भूमि मे नही किया है बल्कि अकृषिक(आबादी) के प्रयोग मे आ रही है। अन्त मे उनके द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार, अमरोहा की आख्या प्राप्त हुई। तहसीलदार, अमरोहा की आख्या दिनांक–07.03.2014 मे कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा खसरा सं0–3248मि0 रकबा–0–016है0 व 3346मि रकबा–0–366है0 पर बाउण्ड्री करके कृषि कार्य बन्द कर दिया है। उक्त गाटा मे वर्तमान मे कृषि, उघान, पशुपालन, कुक्कुर पालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि वर्तमान मे आबादी के प्रयोग मे आ रही है। अन्त मे भूमि अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है। वादी एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने बयान अंकित कराये गये ।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस की गई। तहसीलदार, अमरोहा की आख्या, फर्द खतौनी, नजरी नक्शा, वादी तथा लेखपाल के बयानो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, अमरोहा की आख्यानुसार उक्त गाटा मे वर्तमान मे कृषि, उघान, पशुपालन, कुक्कुर पालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि वर्तमान मे आबादी के प्रयोग मे आ रही है। भूमि के अकृषिक होने की पुष्टि वादी तथा लेखपाल द्वारा अपने बयानो मे भी की गई है। अतः उपर्युक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक–07.03.2014 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अस्तु तहसीलदार, अमरोहा की आख्या दिनांक–07.03.2014 स्वीकार की जाती है। ग्राम कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी तहसील अमरोहा स्थित आराजी खाता सं0–1001 गाटा सं0–3248मि रकबई–0–032है0 व 3346 रकबई–0–733है0 लगान 37.00 रूपये मे से वादी के 1/2 भाग अर्थात गाटा सं0–3248मि रकबई–0–016है0 व 3346 रकबई–0–366है0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार घोषणा पत्र जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक– 24/3/14

(प्रेम प्रकाश)
उपजिलाधिकारी, अमरोहा।

सत्य प्रतिलिपि

Photo State Copy Attested
SANJEEV PRAKASH
ADVOCATE NOTARY
MORADABAD